न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष :मनोज गोयल

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1322–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–04–2015 पारित द्वारा नायब तहसीलदार वृत भीमपुर तहसील भैंसदेही जिला बेतूल, प्रकरण कमांक 03/अ–70/2013–14

.....

1–बाबूलाल पिता मंगु

2–दिलीप पिता जंगु

3–मिलाप सिंग पिता जंगु

तीनों निवासी बटकी पोस्ट दामजीपुरा थाना मोहदा

तहसील भैंसदेही जिला बैतूल म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

आशीष कुमार पिता लक्ष्मीनारायण

निवासी दामजीपुरा थाना मोहदा तहसील भैंसदेही

जिला बैतूल म0प्र0

..... अनावेदक

– – –

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री सुधांशु द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

– – –

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/4/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार वृत भीमपुर तहसील भैंसदेही जिला बेतूल द्वारा पारित आदेश 30–04–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा ग्राम भीमपुर के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा चीरा पटवारी हल्का नम्बर 1 टप्पा भीमपुर तहसील भैंसदेही स्थिति भूमि सर्वे नम्बर 2/24 रकबा 1.619 हेक्टेयर उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है, उसके द्वारा अपनी भूमि का दिनांक 18–2–13 को सीमांकन कराया । सीमांकन में ज्ञात हुआ कि प्रश्नाधीन भूमि के पश्चिम दिशा में 0.388 हेक्टेयर पर बाबूलाल का, रकबा 1.231 हेक्टेयर के पूर्व दिशा की ओर आवेदक कमांक 2 एवं आवेदक कमांक 3 का अवैध कब्जा पाया गया, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 03/अ–70/2013–14 दर्ज कर कार्यवाही की जाकर दिनांक 30–4–2015 को अंतरिम आदेश पारित करते हुये आवेदक कमांक 2 के कथन अंकित कर शेष साक्ष्य के लिये अवसर समाप्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों को अनदेखा कर आवेदकगण का साक्ष्य का अवसर समाप्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है और आवेदकगण को साक्ष्य का अवसर प्राप्त नहीं होने से वे अपने पक्ष में प्रकरण को प्रमाणित नहीं करा पा रहे हैं । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर आवेदकगण को साक्ष्य का अवसर प्रदान करने हेतु तहसीलदार को निर्देश दिये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदक की ओर से एक सप्ताह में लिखित तक प्रस्तुत किये जाने थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने के अनेक अवसर दिये गये हैं, परन्तु न्यायहित में एक अवसर और आवेदकगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का दिया जाना उचित है । अतः इस प्रकरण में यह न्यायिक आवश्यकता है कि तहसीलदार का

आदेश दिनांक 30–4–15 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे आवेदकगण को अंतिम अवसर साक्ष्य प्रस्तुत करने का देते हुये प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार वृत भीमपुर तहसील भैंसदेही जिला बेतूल द्वारा पारित आदेश 30–04–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर